राजस्थान–सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉं (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 312/2020

बउनवान

राधेश्याम पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी परोलिया तहसील छबड़ा जिला बारॉं

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबड़ा जिला बारॉं

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री कृष्णगोपाल भार्गव अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 19.10.2020

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 1107/2020 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 06.03.2020 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम परोलिया की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2076 मे खसरा नम्बर 139 की रकबा 3 बीघा भूमि पर फसल गेहूँ व लहसुन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 150/– रूपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 13.10.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है जो काबिले निरस्तनीय है। यह कि सरकारी भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दंडित करने में कानूनी भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का समस्त अवलोकन न कर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांट को सुनवाई का मौका दिए बिना दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर बिना पी–14 की नकल शामिल किए व पटवारी हल्का के बयान दिए बिना अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.03.2020 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को दोषमुक्त किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.10 16:23:59 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया ओर तामील करवाई गयी है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 1316/2019 निर्णय दिनांक 18.03.2019 की पालना में दण्डित किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा अधिक है। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2076 मे किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा मे उपस्थित रहा है। हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 1107/2020 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 06.03.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.11.10 16:23:59 IST
Reason: SelfAttested